पत्रांक—05 / क3—01 / 2015
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

उषा चौधरी,
निदेशक जन शिक्षा।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
गोपालगंज।

पटना, दिनांकः—

विषय :— जिला जन शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गोपालगंज का कार्यालय भवन का किराया भुगतान के संबंध मे।

प्रसंग :— आपका पत्रांक—652 दिनांक—18.12.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन—पत्र से स्पष्ट होता है कि जिला जन शिक्षा कार्यालय, गोपालगंज किराया के मकान में चल रहा है। रू0 1,500 / —(एक हजार पाँच सौ रू0) मात्र की दर से उक्त कार्यालय भवन का किराया भुगतान वित्तीय वर्ष 2008—09 तक किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009—10 से 2015—16 तक किराया मद में आवंटन हेतु निम्नलिखित कागजात / अभिलेख की आवश्यकता है:—

(1) एकरारनामा की सत्यापित छाया प्रति।

(2) गृह नियंत्रक—सह—अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किराया निर्धारण आदेश की छाया प्रति।

(3) वित्तीय वर्ष 2009—10 से 2015—16 तक का कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत भवन अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र।

(4) पूर्व में किराया मद में निर्गत आवंटनादेश की सत्यापित छाया प्रति।

कृपया वांछित अभिलेख / कागजात एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, 31.03.2016 तक उक्त कार्यालय भवन (जिला जन शिक्षा कार्यालय) को खाली कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में शिफ्ट कर दिया जाये।

विश्वासभाजन,
ह0 / —
(उषा चौधरी),
निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक :— 21 पटना, दिनांकः— 10|5|16

प्रतिलिपि :—जिला पदाधिकारी, गोपालगंज / जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) / आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

उषा चौधरी
9.2.16

(उषा चौधरी),
निदेशक, जन शिक्षा।